न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 24/2020 निर्णय दिनांक:06.11.2020

कुम्भाराम पुत्र जीवणराम जाति जाट निवासी बिग्गा तहसील श्रीडूगरगढ़ जिला बीकानेर

---वादी

–बनाम–

1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भूराजस्व श्रीडूगरगढ

------प्रतिवादी

उपस्थित:–

1.श्री राजाराम नैण अभिभाषक वादी

2.पैरोकारराज स्टेट की तरफ से।

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956

यह वाद कुम्भाराम ने जरिये अधिवक्ता के मार्फत पेश कर निवेदन किया है कि वादी के नाम से संयूक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 919 तादादी 5.5800 हैक्टेयर रोही बिग्गा में स्थित है। वादगत खेतों में वादी की माता रामप्यारीदेवी का 1/9 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वादी की माता का स्वर्गवास दिनांक 02.07.20111 को हो चुका है। उक्त खेत में वादी के माता रामप्यारी का नाम विरास्तन नामान्तरण दर्ज करते समय रामप्यारी पुत्री जीवणराम दर्ज कर दिया जबकि रामप्यारी पत्नि जीवणराम दर्ज होना था जो सही नाम है। वादी की माता का नाम रामप्यारी पत्नि जीवणराम के स्थान पर रामप्यारी पुत्री जीवणराम दर्ज हो गया जिसको वादी सही नाम रामप्यारी पत्नि जीवणराम दर्ज करवाने का अधिकारी है। वादी ने दिनांक 16.12.2019 को राजस्व रिकार्ड की नकले निकलवाई तो वादी को पता चला की वादगत खेत में वादी की माता रामप्यारी पत्नि जीवणराम का नाम रामप्यारी पुत्री जीवणराम दर्ज कर दिया है जिससे वादी की माता का विरास्तन नामान्तरण दर्ज नही हो रहा है जिसको सही करके विरास्तन नामान्तरण दर्ज करने का 1 से निवेदन किया तो प्रतिवादी ने रिकार्ड सही करने से इनकार कर दिया प्रतिवादी की इनकारी से वादी को वाद हेतुक हासिल है। वादगत खेत में राजस्व रिकार्ड में वादी की माता रामप्यारी पत्नि जीवणराम दर्ज होना था जबकि प्रतिवादी संख्या 1 के कर्मचारियो ने वादी के माता का नाम रामप्यारी पुत्री जीवणराम दर्ज कर दिया जिसको सही करवाने का वादी अधिकारी है। वादी ने उक्त दावा में राजस्थान सरकार को पक्षकार संयोजित किया गया है स्टैट के विरूद्ध दावा दायर करने से पूर्व दो माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है स्टैट को दो माह का नोटिस दिया जाकर दो माह का इन्तजार किया जाता है तो केसीसी का सीजनल समय निकल जायेगा और वादी को अपूरणीय क्षति होगी। उक्त दावा में स्टैट के विरूद्ध कोई अपेक्षित अनुतोष नही मागा गया है स्टैट द्वारा राजस्व रिकार्ड का संधारण एवं रिकार्ड में संशोधन किया जाना है इसलिए स्टैट को पक्षकार संयोजित किया गया है।

1. यह है कि वादगत खेत रोही बिग्गा के खसरा नम्बर 919 तादादी 5.5800 हैक्टेयर के घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती का है जिसका श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार श्रीमान हाजा न्यायालय को प्राप्त है।
2. यह कि वादी का दावा पूर्ण न्याय शुल्क एवं समयावधि के अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि:–

(क) कि वादी संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 919 तादादी 5.5800 हैक्टेयर रोही बिग्गा में वादी की माता रामप्यारी पुत्री जीवणराम के स्थान पर रामप्यारी पत्नि जीवणराम घोषित किया जाकर विरास्तन नामान्तरण दर्ज किया जावे।

(ख) कि प्रतिवादी संख्या 1 को आदेशित किया जावे कि वादी खेत खसरा नम्बर 919 तादादी 5.5800 हैक्टेयर रोही बिग्गा में रामप्यारी पुत्री जीवणराम के स्थान पर रामप्यारी पत्नि जीवणराम दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में सशोधन करें।

(ग) कि अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादी हो अथवा दौराने दावा हितकर वादी हो जावें वह भी आज्ञाप्त फरमाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़(बीकानेर)

Scanned with CamScanner

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणो को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी की तरफ से पैरोकार राज ने जवाब पेश किया कि खसरा नम्बर 919 तादादी 5.58 हैक्टेयर रोही बिग्गा में रामप्यारी पुत्री जीवणराम के स्थान पर रामप्यारी पत्नी जीवणराम किया जाता है तो हमें कोई आपति नही है। वाद का अवलोकन किया गया। स्टेट को वादी का वाद स्वीकार करने में कोई आपति नहीं होने के कारण प्रार्थी का वाद स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा नम्बर 919 तादादी 5.58 हैक्टेयर रोही बिग्गा में रामप्यारी पुत्री जीवणराम के स्थान पर रामप्यारी पत्नी जीवणराम नाम शुद्ध करनें के आदेश तहसीलदार श्रीडूंगरगढ को दिये जाते है। रहन यथावत रहेगा। तहसीलदार श्रीडूगरगढ़ उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करे। डिक्री जारी हों ।

पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय सुनाया गया।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी,
श्रीडूँगरगढ

Scanned with CamScanner

डिक्री मुकदमें इन्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूँगरगढ

पीठासीन अधिकारी दिव्या आरएएस..
कुम्भाराम पुत्र जीवणराम जाति जाट निवासी बिग्गा तहसील श्री डूँगरगढ जिला बीकानेर

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार
वाद बाबत घोषणात्मक, शुद्धि
मुकदमा नम्बर 111/2019

निर्णय दिनांक

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी वादी की ओर से श्री राजाराम नैण अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी तरफ से पैरोकारराज मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि खेत खसरा नम्बर 919 तादादी 5.58 हैक्टेयर रोही बिग्गा में रामप्यारी पुत्री जीवणराम के स्थान पर रामप्यारी पत्नी जीवणराम नाम शुद्ध करनें के आदेश तहसीलदार श्रीडूंगरगढ को दिये जाते है। रहन यथावत रहेगा। तहसीलदार श्रीडूगरगढ़ उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करे।

लीज....0......मुबलिग......0........बाबत......0.........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह ...0..फीसदी सालाना आज को जारी..........तारीख वसूलयाबी.......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 6 माह नवम्बर सन् 2020 को जारी किया गया ।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी,
श्रीडूँगरगढ
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़(बीकानेर)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4........रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4. साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	0		
योग	0	योग	0

उपखण्ड अधिकारी
श्री डूँगरगढ
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़(बीकानेर)

Scanned with CamScanner